www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

26.05.2017

सी.बी.आई. ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 65 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर चार आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया एवं तलाशी ली ।

सी.बी.आई. ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वर्ष 2014 में मूल याचिका संख्या-13835 , में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 02.02.2016 के आदेश पर मामला दर्ज किया एवं पूर्व में, चार आरोपियों के विरूद्ध रेस कोर्स पुलिस स्टेशन, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दिनांक 05.06.2013 को अपराध संख्या 1264/ 2013 की जाँच को अपने हाथों में लिया। ऐसा आरोप था कि एक प्राइवेट स्वर्ण आभूषण फर्म जिसकी कोयम्बटूर में तीन दुकानें थी, को बैंक के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ख्याति प्राप्त ग्राहकों यथा एम.एम.टी.सी. एवं अन्य स्थानीय बाजार के व्यापारियों के लिए स्वर्ण आभूषणों/ प्राचीन जेवरों को बनाने एवं बिक्री के उद्देश्य पूर्ति हेतु दिनांक 17.04.2012 को 60 करोड़ रू. की ऋण सुविधा मंजूर कर दी। ऋण सुविधाएँ दिनांक 16.04.2013 से नवीकरण हेतु शेष थी। ऐसा आगे आरोप था कि उक्त ऋण सुविधाएँ स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषणों/ जेवरों के रेहन द्वारा प्रत्या भूत थी तथा आरोपी प्रोत्साहक निदेशकों और गारंटीकर्ताओं की स्वामित्व विलेख की जमानत द्वारा समानान्तर रूप से प्रत्या भूतित भी थी। प्रोत्साहक निदेशक कथित रूप से दिनांक 03.06.2013 से बैंक में गिरवी स्वर्ण आभूषणों के साथ चुपके से निकले। खातों को नियमित करने हेतु प्रोत्साहक निदेशकों के साथ बार-बार के सम्पर्क में कोई जबाब नही आया। ऐसा भी आरोप था कि उक्त आरोपी व्यक्तियों ने कथित रूप से स्टेट बैक ऑफ इण्डिया, कामर्शिल शाखा,कोयम्बटूर के साथ 65.00 करोड़ रू. (लगभग) की धोखाधड़ी की।

आरोपी व्यक्तियों के कार्यालयी एवं आवासीय परिसरों सहित चेन्नई व कोयम्बटूर में विभिन्न स्थानों पर आज तलाशी की जिसमें हार्ड डिस्क्स, लैप टॉप एवं कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज के सेट बरामद हुए।

आगे की जांच जारी है ।